संख्या-925/83-2024

प्रेषक,

मनोज कुमार राय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक सुरक्षा, उ0प्र0,
लखनऊ।

नागरिक सुरक्षा अनुभाग लखनऊः दिनांक 03 जनवरी, 2025

विषय: चालू वित्तीय वर्ष 2024-2025 में नागरिक सुरक्षा विभाग के आउटसोर्सिंग स्टाफ के वेतन भुगतान हेतु पुनर्विनियोग प्रस्ताव पर वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1432/अनु-2/बजट-23/2024, दिनांक 14.11.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में 'अनुदान संख्या-27 लेखा शीर्ष 2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-106-सिविल रक्षा-0302-(भारत सरकार द्वारा आंशिक रूप से प्रतिपूर्ति किया जाने वाला व्यय 25 प्रतिशत)-01 (वेतन) के मानक मद के अन्तर्गत संभावित बचतों से 'अनुदान संख्या-27 लेखा शीर्ष 2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-106-सिविल रक्षा-0302-(भारत सरकार द्वारा आंशिक रूप से प्रतिपूर्ति किया जाने वाला व्यय 25 प्रतिशत)-58 (आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान) के मानक मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि रू० 46,00,000/- (रूपये छियालिस लाख मात्र) की निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन संलग्न प्रपत्र बी०एम०-09 के अनुसार सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है :

(1) आप द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के प्रस्तर-150, 151 व 154 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है |

(2) केवल बजट व्यवस्था के उद्देश्य से पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि प्रदान की जा रही है। प्रश्नगत कार्य हेतु धनराशि स्वीकृति किये जाने के विषय में निदेशक समस्त औपचारिकताओ की पूर्ति करते हुये औचित्य का परीक्षण कर लेंगे तथा सुसंगत वित्तीय नियमों एवं निर्देशों के अनुरूप धनराशि के उपयोग का सम्पूर्ण दायित्व निदेशक का होगा ।

(3) जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है उस मद में वर्तमान वित्तीय वर्ष में पुनर्विनियोग प्रस्तावित नहीं किया जायेगा ।

(4) जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है, उसी मद में ही आवश्यकतानुसार धनराशि आहरित कर व्यय की जायेगी ।

(5) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 04.03.2024 में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा ।

(6) स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31 मार्च, 2025 तक सुनिश्चित कर लिया जाय ।

3- उक्त मद में होने वाला व्यय संलग्न विवरणानुसार चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में 'अनुदान संख्या-27 लेखा शीर्ष 2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-106-सिविल रक्षा-0302-(भारत सरकार द्वारा आंशिक रूप से प्रतिपूर्ति किया जाने वाला व्यय 25 प्रतिशत)-01-वेतन' के मानक मद के अन्तर्गत संभावित बचतों से "अनुदान संख्या-27 लेखा शीर्ष 2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-106-सिविल रक्षा-0302-(भारत सरकार द्वारा आंशिक रूप से प्रतिपूर्ति किया जाने वाला व्यय 25 प्रतिशत)-58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान" के मानक मद के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा दी गयी सहमति एवं उनके द्वारा प्रदत्त आर०ई०संख्या-बजट-1-181-E-12-593-X-2024-25, दिनांक 13-12-2024 के फलस्वरूप जारी किया जा रहा है |

संलग्नक-बी.एम.-9

भवदीय,

Signed by
Manoj Kumar Rai
Date: 02-01-2025 15:43:32

(मनोज कुमार राय)
विशेष सचिव |

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकादरी) प्रथम/द्वितीय/ऑडिट, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा एवं परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12, उत्तर प्रदेश शासन।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन (03 प्रतियों में) |
7- गार्ड फाइल |

आज्ञा से,

Signed by
Jai Singh
Date: 03-01-2025 13:27:00

(जय सिंह)
अनु सचिव |

बी०एम०-9 (भाग-1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृति

(संदर्भ: बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

विषय: चालू वित्तीय वर्ष 2024-2025 में नागरिक सुरक्षा विभाग के आउटसोर्सिंग स्टाफ के वेतन भुगतान हेतु पुनर्विनियोग प्रस्ताव पर वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान/ विनियोग
1	2	3	4	5	6	7	8
027	2070001060302 (भारत सरकार द्वारा आंशिक रूप से प्रतिपूर्ति किया जाने वाला व्यय 25 प्रतिशत)	01 (वेतन)	1,90,50,000 रुपये एक करोड़ नब्बे लाख पचास हजार मात्र	90,00,000 रुपये छियालीस लाख मात्र	46,00,000 रुपये छियालीस लाख मात्र	46,00,000 रुपये छियालीस लाख मात्र	1,44,50,000 रुपये एक करोड़ चौवालीस लाख पचास हजार मात्र
कुल			1,90,50,000	90,00,000	46,00,000	46,00,000	1,44,50,000

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध/ विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान/ विनियोग
9	10	11	12	13	14	15
027	2070001060302 (भारत सरकार द्वारा आंशिक रूप से प्रतिपूर्ति किया जाने वाला व्यय 25 प्रतिशत)	58 (आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान)	1,25,00,000 रुपये एक करोड़ पच्चीस लाख मात्र	46,00,000 रुपये छियालीस लाख मात्र	46,00,000 रुपये छियालीस लाख मात्र	1,71,00,000 रुपये एक करोड़ इकहत्तर लाख मात्र
कुल			1,25,00,000	46,00,000	46,00,000	1,71,00,000

1- स्तम्भ-5 में बचत का कारण-अधिकारियों/कर्मचारियों के रिक्त पदों के कारण|

2- स्तम्भ-12 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-13 में अंकित व्यय का कारण- केन्द्रीय नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान, नागरिक सुरक्षा इकाइयों तथा नागरिक सुरक्षा निदेशालय के आउट सोर्सिंग स्टाफ के वेतन भुगतान हेतु|

3- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुर्विनियोग में उ०प्र० बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में निर्दिष्ट

प्रतिबंधों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है|

आर०ई०संख्या-बजट-1-181-E-12-593-X-2024-25, दिनांक -13-12-2024

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,
उ०प्र०, प्रयागराज |

Signed by
Manoj Kumar Rai
Date: 02-01-2025 15:44:34

विशेष सचिव,
नागरिक सुरक्षा |

सत्य प्रकाश सिंह
उप सचिव,
वित्त विभाग |

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकादरी) प्रथम/द्वितीय/ऑडिट, उ0प्र0, प्रयागराज |
2- महालेखाकार (लेखा एवं परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज |
3- निदेशक, नागरिक सुरक्षा, उ०प्र०, लखनऊ |
4- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ |
5- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ |
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12, उत्तर प्रदेश शासन |
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन | (03 प्रतियों में) |
8- गार्ड फाइल |

आज्ञा से,

Signed by
Jai Singh
Date: 03-01-2025 13:27:53

(जय सिंह)
अपर सचिव।